न्यायालयः (अनिल प्रभात मिंज) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आप.प्रक.क्र. 05/2022
छ0ग0 राज्य विरूद्ध विजय टेकाम
संस्थित तिथि–04/01/2022

छ0ग0 शासन
द्वारा यातायात शाखा कोण्डागांव
जिला कोण्डागांव छ०ग० ....अभियोजन

विरूद्ध

01. विजय टेकाम पिता बारेलाल टेकाम
उम्र–28 वर्ष निवासी–मोरिद
थाना उतई जिला दुर्ग (छ०ग०) ....अभियुक्त

::निर्णय::

(आज दिनांक 04/01/2022 को घोषित)

आरोपी विजय टेकाम के विरूद्ध धारा 185, 3/181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण अपराध की विशिष्टियो के संबंध में तैयार कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है, आरोपी की स्वीकारोक्ति उसके शब्दो में लेख किया गया है।

2. आरोपी की स्वीकारोक्ति एवं अन्य अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 185, 3/181 मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दंडित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यो की पुर्ति हो जाना संभावित है। अतः आरोपी को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध हेतु रूपये 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम के अपराध हेतु रूपये 5,000/– रूपये (कुल राशि पन्द्रह हजार रूपये मात्र) दण्डित किया जाता हैं, एवं आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने कि दशा में क्रमशः छः माह एवं तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

3. प्रकरण में जप्त शुदा वाहन स्कार्पियो क्रमांक CG-04-LQ-0647 को वाहन स्वामी संबंधी दस्तावेज पेश करने के उपरांत वाहन स्वामी को सुपुर्दनामा पर दिया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

04/1/22

अनिल प्रभात मिंज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ.ग.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

04/1/22

अनिल प्रभात मिंज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner